न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– **श्रीमति डा. साधना शर्मा (RAS)**

वाद पत्र संख्या :– **48 / 2024** **दर्ज दिनांक–22.04.2024**

शीर्षक

अर्जुन लाल सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी जाति माली निवासी ढाणी लालू सिंह की भौनावास, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। **वादी**

बनाम

1. रामकरण सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी जाति माली निवासी ढाणी लालू सिंह की, भौनावास, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान ।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड
3 सब रजिस्ट्रार महोदय, सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री विष्णु कुमार शर्मा
प्रतिवादी सं. 01 वकील श्री राजेन्द्र कुलदीप व ओमप्रकाश सैनी

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः 17.11.2025

1. वादीगण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता के द्वारा पेश वाद पत्र निम्नानुसार है कि आराजी खसरा नम्बर 1624 / 367 / 0.1525, 1628 / 368 / 0.02 वाके मौजा रूपादासनगर पटवार हल्का भौनावास तहसील पावटा में स्थित है जिसे आगे वाद में आराजी मुतदाविया से संबोधित किया गया है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया के खातेदार काश्तकार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 है तथा मुताबिक हिस्सा जमांबदी मौके पर अपने अपने हिस्से की भूमि पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है। उपरोक्त आराजी मुतदाविया का आज दिन तक मौके व राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा नहीं हुआ है तथा शामिल में ही पक्षकारान उपरोक्त भूमि को काश्त कर रहे है इसलिए पक्षकारान के मध्य आये दिन काश्त संबंधी व लगान संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते है। वादी ने प्रतिवादी को उपरोक्त आराजी मुतदाविया का मौके व राजस्व रिकार्ड में विधिवत बंटवारा करवाने को कहा परन्तु प्रतिवादी पहले तो टालमटोल करते रहे अब गत सप्ताह से साफ इंकार हो गये है। इसलिए वादी को हक हो गया है कि जरिये अदालत आराजी खसरा नम्बर 1624 / 367 / 0.1525, 1628 / 368 / 0.02 वाके मौजा रूपादासनगर पटवार हल्का भौनावास तहसील पावटा का बादी को हिस्सा 1 / 2 व प्रतिवादी संख्या 1 को हिस्सा 1 / 2 के अनुसार जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जे अनुसार भूमि का निर्धारण करते हुए एवं रास्ते की समुचित व्यवस्था करते हुये भूमि का तकास्मा किया जावे एवं इस हेतु तहसीलदार पावटा को मध्यस्थ नियुक्त किया जावे एवं वादी के हिस्से में आई भूमि का अलग बटा नम्बर डाल हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम की जावे।

2. प्रतिवादी उपरोक्त आराजी मुतदाविया की भूमि का बिना विधिवत बंटवारा किये दिगर व्यक्तियों को विशेष भू भाग को रहन–बेचान करने व मौके पर व प्रार्थी के हिस्से की भूमि में लगी तारवंदी को तोड़कर एवं भूमि में नींव खोदकर निर्माण कार्य कर आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा हो रहे है एवं मना करने पर नहीं मान रहे एवं मरने मारने पर उतारू है एवं ऐलानिया धमकी दे रहे है उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि मे चारदीवारी लगा कब्जा कर लेंगे। वादी ने प्रतिवादी को बहुत समझाया परन्तु वे अपनी चाल से बाज नहीं आ रहे इसलिए वादी को हक हो गया है कि वे जरिये अदालत प्रतिवादी को इस अमर से पांबद करावे की वाद के निरतारण तक प्रतिवादी उपरोक्त आराजी खसरा नम्बर 1624 / 367 / 0.1525, 1628 / 368 / 0.02 वाके मौजा रूपादासनगर पटवार हल्का भौनावास तहसील पावटा की भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करे भूमि की किरम परिवर्तित नहीं करे वादी को हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे मौके व राजरव रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखे तथा दिगर व्यक्ति को रहन बेचान नहीं करे के लिए दावा पेश करना आवश्यक हुआ है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

3. वाद कारण प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त आराजी का गत सप्ताह विधिवत हाल राजस्व रिकार्ड व मौके पर तकास्मा करवाने से इंकार करने एवं बिना तकास्मा किये जबरन वादी के हिस्से की भूमि में रास्ता निकालने व वादी की भूमि में की गई तारबंदी को तोडने, भूमि को दिगर व्यक्तियों को रहन–बेचान करने एवं भूमि पर निर्माण करने पर आमादा होने से पैदा हुआ है। आराजी मुतदाविया व फरिकेन न्यायालय श्रीमान के क्षेत्राधिकार में निवास करते है इसलिए उपरोक्त वाद सुनने व तय करने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को हासिल है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की तृतीय अनुसुची के अनुसार नियत कोर्ट फीस 4/– रूपए पर वाद प्रस्तुत है।

4. अतः वादी दावेदार है कि एक किता डिकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की प्रस्तुत की जावे कि आराजी हाल खसरा नम्बर 1624/367/0.1525, 1628/368/0.02 वाके मौजा रूपादासनगर पटवार हल्का भौनावास तहसील पावटा का वादी प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य जमाबंदी में हिस्से अनुसार व मौके पर कब्जानुसार भूमि का निर्धारण करते हुए एवं रास्ते की समुचित व्यवस्था करते हुये अच्छी में अच्छी व बुरी मे बुरी भूमि का तकास्मा किया जावे एवं इस हेतु तहसीलदार पावटा को मध्यस्थ नियुक्त किया जावे एवं वादी के हिस्से में आई भूमि का अलग बटा नम्बर डाल हाल राजस्व रिकार्ड व नक्शे में तरमीम की जावे। प्रतिवादी को इस अमर से पांबद करावे की वाद के निस्तारण तक प्रतिवादी उपरोक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 1624/367/0.1525, 1628/368/0.02 वाके मौजा रूपादासनगर पटवार हल्का भौनावास तहसील पावटा की भूमि में किसी प्रकार का कोई कच्चा–पक्का निर्माण कार्य नहीं करे भूमि की किस्म परिवर्तित नहीं करे वादी को हिस्से अनुसार शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे तथा दिगर व्यक्ति को रहन–बेचान नहीं करे। अन्य जो दादर्शी मान्य न्यायालय वादी के हक में व प्रतिवादी के विरूद्ध उचित समझे प्रदान की जावे।

5. वादपत्र पेश होने पर काबिले समात पाया जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गए। विधिवित तामिल करवाई गई। प्रतिवादी सं. 01 मय अधिवक्ता उपस्थित आकर वकालतनामा व जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 25.07.2025 को वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार को बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट हेतू लिखा गया। दिनांक 04.09.2025 को तहसीलदार पावटा से कुर्रेजात बंटवारा रिपोर्ट प्राप्त हुई जो आगामी नियत दिनांक को शामिल पत्रावली की गई। प्रतिवादी वकील ने कुर्रेजात रिपोर्ट पर उज्ररात/आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी नकल वादी को दिलायी, शामिल मिसल किया गया। वादी वकील ने उज्रात प्रार्थाना पत्र जवाब दिये बिना सीधी बहस हेतू निवेदन किया। आपत्ति/उज्रात कुर्रेजात प्रार्थना पत्र पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी/प्रतिवादी वकील ने आपत्ति/उज्रात कुर्रेजात प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि पुनः कुर्रेजात रिपोर्ट मंगवायी जावे, जिसके प्रत्युत्तर में वादी/अप्रार्थी वकील ने अपनी बहस में बताया कि बंटवारा कुर्रेतजात रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के नियमानुसार तहसीलदार पावटा द्वारा स्वयं मौके पर जाकर नियमानुसार तैयार की गई है। इसलिए आपत्ति/उज्रात कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वाद को डिक्री किया जावे। बहस पर मनन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन किया जाकर अध्ययन व मूल्यांकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के नियमानुरूप तहसीलदार की मौजूदगी में सही तैयार की गई है, वादी व प्रतिवादी सं. 01 का हिस्सा 1/2 – 1/2 हिस्सा है जो बंटवारा रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस के अवलोकन से साफ जाहिर है कि बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट राजस्व बोर्ड के नियमानुसार सही तैयार की गई है। इसप्रकार प्रार्थी/प्रतिवादी वकील द्वारा पेश आपत्ति/उज्रात कुर्रेजात प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार पावटा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार वादपत्र अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

6 अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 1624/367/0.1525, 1628/368/0.02 वाके मौजा रूपादासनगर पटवार हल्का भौनावास तहसील पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनकों पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	अर्जुन **लाल** सैनी **पुत्र हनुमान सहाय** हिस्सा पूर्ण राहिन (सम्पूर्ण **खाता) पी.एन.बी. शाखा पावटा जाति माली सा.देह**	**1624/367/0.07625, 1628/368/0.01 हैक्ट0** भूमि।
2	**रामकरण** सैनी **पुत्र हनुमान सहाय** हिस्सा सम्पूर्ण जाति **माली सा.देह खातेदार**	**1624/367/1/0.07625, 1628/368/1/0.01 हैक्ट0** भूमि।

7. तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

(डा साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद पत्र संख्या :– 48/2024 दर्ज दिनांक–22.04.2024

शीर्षक

अर्जुन लाल सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी जाति माली निवासी ढाणी लालू सिंह की भौनावास, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान। **वादी**

बनाम

1. रामकरण सैनी पुत्र हनुमान सहाय सैनी जाति माली निवासी ढाणी लालू सिंह की, भौनावास, तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड, राजस्थान ।
2 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड
3 सब रजिस्ट्रार महोदय, सब रजिस्ट्रार कार्यालय पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड

प्रतिवादीगण

वादी वकील श्री विष्णु कुमार शर्मा
प्रतिवादी सं. 01 वकील श्री राजेन्द्र कुलदीप व ओमप्रकाश सैनी

दावा बाबत तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा

अतः तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा अन्तिम डिक्री किया है कि आराजी हाल खसरा न0 1624/367/0.1525, 1628/368/0.02 वाके मौजा रूपादासनगर पटवार हल्का भौनावास तहसील पावटा तहसील पावटा जिला कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान के खातेदारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा कर उनको पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

क.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर/रकबा
1	**अर्जुन लाल सैनी पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा पूर्ण राहिन (सम्पूर्ण खाता) पी.एन.बी. शाखा पावटा जाति माली सा.देह**	**1624/367/0.07625, 1628/368/0.01 हैक्ट0 भूमि।**
2	**रामकरण सैनी पुत्र हनुमान सहाय हिस्सा सम्पूर्ण जाति माली सा.देह खातेदार**	**1624/367/1/0.07625, 1628/368/1/0.01 हैक्ट0 भूमि।**

तहसीलदार पावटा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार पावटा को लिखा जावें। पक्षकारान को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे बटवारा अनुसार एक दूसरे के कब्जे कास्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें।

डिक्री आज दिनांक 17.10.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गयी।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	